सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
संयुक्त वन प्रबंध कक्ष की जानकारी

1. **संयुक्त वन प्रबंधः–**

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अंगीकार किया है। वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया है, जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है – संघन क्षेत्रें में वन सुरक्षा समिति, बिगड़े वन क्षेत्रे में ग्राम वन समिति तथा संरक्षित क्षेत्रे में ईको विकास समिति। संकल्प के अनुसार वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण आम सभा के सदस्य होंगे। राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.01.08 द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 के संकल्प की कंडिका 5.2 को संशोधित करते हुए अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं, साथ ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथासंभव इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

1. वन समितियों की कुल संख्या 15,228 है, जिनके द्वारा 66,874 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रें का प्रबंधन किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार है :–

समिति का प्रकार	समितियों की संख्या	प्रबंधित वन क्षेत्र
ग्राम वन समिति	9650	37268 वर्ग किमी
वन सुरक्षा समिति	4747	25904 वर्ग किमी
ईको विकास समिति	831	3702 वर्ग किमी
योग	**15,228**	**66874 वर्ग किमी**

2. **वन समितियों को लाभांश वितरणः–**

(i) **बांस लाभांश** – मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार, शासनादेश दिनांक 30.05.12 के द्वारा कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस के विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभांश 20 प्रतिशत से बढ़ाकर शत–प्रतिशत नगद वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

(ii) **काष्ठ लाभांश** – म.प्र. शासन, वन विभाग के आदेश क्र. 16–04/1991/10–2 दिनांक 03.09.2016 द्वारा काष्ठ लाभांश की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। वर्तमान में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को 20 प्रतिशत लाभांश प्रदाय किया जा रहा

है। वर्ष 2016–17 का काष्ठ एवं बांस का लाभांश जो वर्ष 2017–18 में राशि रू. 39,04,84,598 /–हितग्राहियों को वितरित किया गया है।

3. **पुरस्कार वितरण संबंधी कार्यवाही–**

(i) **शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार** – मध्यप्रदेश शासन ने प्रतिवर्ष वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के लिये शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2001 से 2005 तक तीन वर्गों में पुरस्कार दिये गये हैं तथा 2006 से शासकीय एवं अशासकीय व्यक्तियों को व्यक्तिगत पुरस्कार पृथक–पृथक दिये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कुल पांच वर्गों में पुरस्कार दिये जा रहे हैं। वन रक्षा एवं वन संवर्द्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को एक लाख रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वन रक्षा एवं संवर्द्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति (शासकीय एवं अशासकीय) को पचास–पचास हजार रूपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार वन्यप्राणियों की रक्षा में अदम्य साहस व सूझबूझ का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति (शासकीय एवं अशासकीय) को पचास–पचास हजार रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की राशि म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त होती है।

(ii) **बसामन मामा स्मृति वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार** – मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2009 में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु निम्न दो श्रेणियों के पुरस्कारों की घोषणा की गई।

- **विन्ध्य क्षेत्र हेतु पुरस्कार** – यह पुरस्कार शासकीय तथा अशासकीय व्यक्तियों द्वारा वनों एवं वन्यप्राणियों संरक्षण एवं वन संवर्धन के लिये प्रदर्शित की गई शूरवीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान के लिये प्रदान किया जावेगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार दिये जाऐंगे। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकेगा।
- **राज्य स्तरीय पुरस्कार** – निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिये यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाएगा। 5 हैक्टेयर से अधिक तथा 5 हैक्टेयर से कम भूमि पर, 5 वर्ष से अधिक उम्र के उत्कृष्ट वृक्षारोपण हेतु। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार दिये जायेंगे। पुरस्कार की राशि म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त होती है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(संयुक्त वन प्रबंधन)
मध्य प्रदेश, भोपाल